तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]
[illegible]	[illegible] पत्रावली पेश [illegible] अधिकारी [illegible] नोटिस [illegible] पत्रावली [illegible] 21.9.22 पेश हो।
21.9.22	पत्रावली पेश हुई। अनुपालन रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार [illegible] नोटिस [illegible] पत्रावली दिनांक 28.11.22 को पेश हो।
28.11.22	पत्रावली पेश हुई। अनुपालन रिपोर्ट [illegible] अधिकारी [illegible] नोटिस [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] 23 को पेश हो।
[illegible] 1.23	पत्रावली [illegible] अधिकारी [illegible] नोटिस [illegible] पत्रावली दिनांक 16.2.23 को पेश हो।
17.02.2023	[illegible] पेशी देने पर पत्रावली [illegible] हुई। [illegible] प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी भगवान सहाय पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम गंगावक्श वाली पुर्व कल्याणपुरा की ओर से श्री [illegible] सामोता एड० के द्वारा एक [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि का किसान

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 11:42:40 IST
Reason: SelfAttested

जगदीश बनाम ...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
क्रेडिट कार्ड बनाये जाने व अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग किये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान किये जाने का निवेदन किया। जिसकी नकल प्रार्थीगण वकील श्री सुद... मामोता एड0 को दिलाई जाने पर उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः वकील प्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थी भगवानसहाय पुत्र बोदूराम जाट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किये जाते है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2013 को जारी स्थगन आदेश में प्रार्थी भगवान सहाय पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढाणी गंगाबक्श वाली तन् कल्याणपुरा को वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1462 से 1464, 1469 से 1479 कुल किता 14 कुल रकबा 10.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढाणी हेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का किसान केडिट कार्ड बनाये जाने व अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग किये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान की जाती है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। सम्मन तलबाना पेश करने हेतु पूर्व में 38 अवसर दिये जा चुके है। बावजूद अवसरों के भी सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने सम्मन तलबाना बाबत तलबी अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 27.03.2023 को पेश हो।	

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 11:42:40 IST
Reason: SelfAttested